

## सूचना



किसी भी अस्पताल में तोड़-फोड़ करना या डॉक्टर एवं स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार / मारपीट करना गैर जमानती अपराध है। इसमें निम्न कानून के तहत कार्यवाही की जा सकती है:

कानून:

“उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अध्यादेश 2013”

कार्यवाही :

गैर जमानती पुलिस केस  
नुकसान की भरपाई

गिरफ्तारी  
सजा तीन साल

इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन एवं इलाहाबाद पुलिस द्वारा जनहित में जारी